152

पत्र संख्याः-ओ0/बि0मा0आ0-86/2021 ..../

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषकः

विकास वैभव
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जन संपर्क विभाग
बिहार, पटना

पटना, दिनांक- ...., 2022

विषयः- **बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना कार्यालय के पुराने अभिलेखों के डिजिटलाईजेशन कार्य हेतु निविदा प्रकाशन के संबंध में।**

प्रसंगः- **बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के पत्रांक-BHRC/विविध-05/2016-2841 दिनांक 14.02.2022**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के कार्यालय कार्यालय के पुराने अभिलेखों के डिजिटलाईजेशन कार्य हेतु विभिन्न एजेंसियो से निविदा आमंत्रित किया जाना है।

अतः आयोग द्वारा तैयार निविदा की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे राज्य के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-2169.

पटना, दिनांक-07/03/ **2022**

प्रतिलिपिः- उप सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, 9 बेली रोड, पटना को उनके पत्रांक-BHRC/विविध-05/2016-2841 दिनांक 14.02.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/22

श्री कुशवाहा जी
कृपया
अविलम्ब
09/03/2022

सरकार के विशेष सचिव

27 dev- BHRC/NHRC press note

227
14/3/2022

प्रपत्र-V

बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड पटना–15

पत्रांक– BHRC/विविध– 05/2016 2841 पटना, दिनांक 14/2/2022

प्रेषक,

उप सचिव,
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
गृह विभाग (विशेष शाखा),
बिहार, पटना ।

विषय :– बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना कार्यालय के पुराने अभिलेखों के डिजिटाईजेशन कार्य हेतु निविदा प्रकाशन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार मानवाधिकार आयोग कार्यालय के पुराने अभिलेखों के डिजिटाईजेशन कार्य हेतु विभिन्न एजेंसियों से निविदा आमंत्रित किया जाना है। इसके लिए संबंधित निविदा सूचना की सी0डी0 (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी) संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त निविदा को सभी प्रमुख दैनिक समाचार (हिन्दी, अंग्रेजी, ऊर्दू) पत्रों में तीन दिनों के अंदर प्रकाशित कराने हेतु निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध करने की कृपा करते हुए इसकी सूचना आयोग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः
(i) निविदा सूचना की पाँच प्रति।
(ii) सी0डी0 एक अदद।

विश्वासभाजन

14/2/22
उप सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

ज्ञापांक– BHRC/विविध– 05/2016 2841 पटना, दिनांक 14/2/2022

प्रतिलिपि : सुश्री सुप्रिया कुमारी, सूचना प्रौवेद्यिकी प्रबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के Website पर Upload करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/2/22
उप सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

अनु-I

157

बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड, पटना – 15

पत्रांकः BHRC/विविध – 05/2016 .... पटना, दिनांक 2022

कार्यालय आदेश

निदेशानुसार बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना कार्यालय का पुराने अभिलेखों के डिजिटाईजेशन कार्य हेतु दिनांक 10.11.2021 को राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा को मात्र एक निविदा प्राप्त होने के कारण रद्द की जाती है।

02. आदेश पर सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

उप सचिव 14/2/22

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

ज्ञापांकः BHRC /स्था० – 06/2022 ....2838.... पटना, दिनांक 14/2/..2022

प्रतिलिपिः विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव 14/2/22

ज्ञापांकः BHRC /स्था० – 06/2022 ....2838.... पटना, दिनांक .14/2/.2022

प्रतिलिपिः आई०टी० प्रबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को आयोग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव 14/2/22

149

बिहार मानवाधिकार आयोग

09 बेली रोड, पटना 800015

निविदा

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना कार्यालय के पुराने निष्पादित अभिलेखों का डिजिटाइजेशन कार्य हेतु सक्षम एजेन्सियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से अगले 15 (पन्द्रह) दिनों तक कार्यालय अवधि में अपनी निविदा आयोग कार्यालय में समर्पित कर सकते है। निविदा संबंधी आवश्यक शर्त्ते/ बंधेज आयोग के सूचना पट्ट पर प्रकाशित है, जिसे इच्छुक निविदादाता अवलोकित कर अन्य आवश्यक जानकारियाँ आयोग कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाईट **http://bhrc.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

उप सचिव

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

बिहार मानवाधिकार आयोग

09 बेली रोड, पटना 800015

निविदा की शर्त्ते

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना कार्यालय के पुराने निष्पादित अभिलेखों का डिजिटाइजेशन कार्य हेतु सक्षम प्रतिष्ठित एजेन्सियों से निम्नांकित शर्त्तो के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है :–

01. कार्य का स्थान एवं कार्यावधि :– बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना। समय – कार्यालय अवधि में।

02. स्कैनिंग एजेंसी को सुनिश्चित करना होगा कि उनकी ओर से कोई अभिलेख/ दस्तावेज/ संचिकाएँ एवं डेटा उल्लंघन एवं दस्तावेजों में निहित जानकारी को कोई अनुचित प्रकटीकरण नहीं किया जायेगा।

03. बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के कर्मचारियों से एजेन्सी द्वारा फाईलों को गिनने के बाद प्राप्त करना एवं अभिलेखों की सूची बनाकर रिकार्ड का प्रबंधन करना होगा।

04. निविदादाता के शर्तो के अनुरुप प्रशिक्षित/ अनुभवी कर्मियों से कार्य संपादन।

05. निविदादाता को निम्नलिखित तकनीकी विशिष्टियों के अनुरुप डिजिटाइजेशन का कार्य सम्पन्न कराना होगा :–

(i) डिजिटाईजेशन के उद्देश्य से फाईलें तैयार करना एवं टैग, पिन आदि को हटाने की जिम्मेदारी चयनित एजेन्सी की होगी।

(ii) खाली पृष्ठों को स्कैन नहीं किया जाना है।

(iii) चयनित एजेन्सी खराब गुणवत्ता वाली स्कैन की गई छवियों/ दस्तावेजों को स्वयं बदलेगा जिसके लिए चयनित एजेन्सी कोई अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(iv) यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी चयनित एजेन्सी है कि डिजिटल दस्तावेजों की सामग्री अभिलेखों के रुप में बनाये गए मूल कागज दस्तावेज की सटीक प्रतिकृति होगी।

(v) आयोग किसी भी अन्य चयनित एजेन्सी के द्वारा सभी दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटाइजेशन करने का निदेश दे सकता है, यदि यह पाया जाता है कि चयनित एजेन्सी ने संतोषजनक ढ़ंग से स्कैन करने का कार्य नहीं किया है और छवियां खराब गुणवत्ता की है तो आयोग द्वारा ऐसा करने में खर्च की गई राशि चयनित एजेन्सी के बिल से काट ली जायेगी।

(vi) चयनित एजेन्सी को आवंटित स्थान/ परिसर से फाईलें/ दस्तावेजों को हटाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(vii) किसी भी परिस्थिति में दस्तावेजों को बदला, विकृत, नष्ट या अन्य दस्तावेजों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जायेगा।

(viii) चयनित एजेन्सी को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कैन की गई छवियों के गुणों को इष्टतम स्तर तक बढ़ाया गया है और दस्तावेजों पर आवश्यक छवि वृद्धि गतिविधियां की गई है।

(ix) यदि दस्तावेज सुपाठ्य नहीं है तो उच्च विभेदन अर्थात् 300 डी0पी0आई0 या उच्चतर पर दस्तावेजों को स्कैन करने की जिम्मेदारी चयनित एजेन्सी की होगी।

(x) डिजिटल अभिलेखों की तेजी से पुर्नप्राप्ति के लिए डेटा की हाईपरलिंकिग बुकमार्किंग के साथ की जानी चाहिए।

(xi) डिजिटाइजेशन के बाद अभिलेखों को उपलब्ध कराने वाले पदाधिकारी को वापस करना।

(xii) अभिलेखों को डिजिटाइजेशन ओवर हेड स्कैनर/ हाई रिजोल्यूशन डिजिटल कैमरा से लिया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में फ्लैट बेड स्कैनर का उपयोग नहीं करना होगा। डिजिटल इमेज तैयार करने के समय अभिलेखों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे इसका ध्यान रखना होगा।

(xiii) संचिकाएँ पुरानी होने के कारण पन्नों की स्थिति Damaged हो सकती है, इस संबंध में स्कैनिंग करते समय निम्न बातों का ध्यान चयनित एजेन्सी को रखना अनिवार्य होगा :–

(i) कागजात/ पन्नें यदि सामान्य स्थिति में हो, Colour – DPI : 100 DPI B/W रखी जा सकती है।

(ii) Text/ Document/ पन्नें, यदि Image के साथ हो, Colour – DPI : 300 DPI Gray Scale रखी जा सकती है।

(iii) Text/ Document/ पन्नें, यदि 'अधिक' Damaged/ Tarnised/ Clouded हो तो Colour – DPI : 450 DPI B/W रखी जा सकती है।

(iv) Text/ Document/ पन्नें, यदि बहुत अधिक Damaged/ Tarnised/ Clouded हो तो, Colour & DPI : 600 DPI B/W रखी जा सकती है।

(v) Document यदि फोटोग्राफ के साथ हो तो Colour & DPI : 600 DPI Gray Scale/ Colour रखी जा सकती है।

(xiv) प्रत्येक फाईल का PDF बनाकर Scanned Document को आयोग के Server पर डाटा अधिष्ठापन करना एवं निम्न Format में Indexing कर Pen Drive में (जिसमें डाटा न बदला जा सके) बनाकर देना होगा :–

Year	File No.	PDF

(xv) डिजिटाइजेशन कार्य का बैकअप Pen Drive में (जिसमें डाटा न बदला जा सके) देना होगा।

(xvi) अभिलेखों के फाईल का मेटाडाटा का प्रिंट तैयार कर उपलब्ध कराना।

(xvii) डिजिटाइजेशन किये गये फाईल के इंडेक्स का एम0एस0वर्ड– 2015 में डाटा तैयार करना।

(xviii) डिजिटाइजेशन कार्य हेतु आवंटित स्थल पर ओवर हेड स्केनर/ उच्च कोटि का कैमरा, 600 डी0पी0आई0 का प्रिन्टर, कम्प्यूटर, यू0पी0एस0 सहित अन्य आवश्यक उपकरणों का अधिष्ठापन करना।

(xix) चयनित एजेन्सी को डिजिटाइजेशन हेतु राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना, द्वारा उपयोग में लिये जा रहे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा तथा इस बिन्दु पर वे समय–समय पर राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना से जानकारी प्राप्त करते रहेंगे तथा राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना द्वारा परिवर्तित अद्यतन सॉफ्टवेयर का उपयोग उसके आगे के डिजिटाइजेशन में करेंगे।

(xx) डिजिटाइजेशन के क्रम में चयनित एजेन्सी द्वारा अभिलेख की जिल्द को खोला जाता है तो उसपर जिल्द लगाने का काम उन्हें ही करना होगा।

(xxi) कार्य सम्पादन के अनुरुप चयनित एजेन्सी के द्वारा विपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त तकनीकी विशिष्टियों के अनुरुप कार्य की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर भुगतान किया जायेगा।

(xxii) चयनित एजेन्सी द्वारा किये गये डिजिटाइजेशन की गुणवत्ता डिजिटाइजेशन मानक के आधार पर शत् प्रतिशत करने से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xxiii) सिस्टम दस्तावेज प्रारुप को Microsoft Office, Adobe PDF, XML समर्थन में होना चाहिए।

(xxiv) बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के पास Negotiation के लिए चयनित बोली लगाने वाले को ठेका देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(xxv) आयोग डिजिटाइजेशन स्थल पर पर्यवेक्षक/ कर्मियों की व्यवस्था करेगा जो स्कैंनिग गतिविधियों की निगरानी करेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन आयोग को सौंपेगे।

(xxvi) आयोग अथवा इस कार्य हेतु गठित समिति कार्य के दौरान किसी भी तकनीकी शर्त को बदल सकती है अथवा नया शर्त जोड़ सकती है।

(xxvii) दण्ड – चयनित एजेन्सी द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य सम्पादन में विलम्ब करने पर या किसी प्रकार की त्रुटि करने पर उनके द्वारा जमा की गई जमानत राशि (Earnest Money) आयोग द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उससे संबंधित विपत्र का भुगतान नहीं किया जायेगा। अभिलेखों को किसी तरह की क्षति पहुँचाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

तकनीकी निविदा

01. कम्पनी/फर्म का नाम, दूरभाष सं0, इमेल सहित विवरणी :
02. कम्पनी के निगमन/ फर्म के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र :
(संख्या एवं दिनांक व वैधता की अवधि यदि कोई हो तो, दें)।
    (i) कम्पनी/ फर्म को विधिवत पंजीकृत/ निगमित होना चाहिए :
    (iii) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र :
    (iv) पैन कार्ड नम्बर :
03. संस्थान के लेखा का वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 का चार्टड एकाउटेन्ट द्वारा समर्पित अंकेक्षण रिपोर्ट ।
04. संस्थान का विगत तीन वित्तीय वर्षो में औसत वार्षिक टर्नओवर ₹ 40 लाख होना चाहिए।
05. संस्थान के पास विज्ञापन जारी होने के कम से कम तीन वर्षो के व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने हेतु OHSAS पंजीकरण (18001–2007) होना चाहिए।
06. संस्थान के पास विज्ञापन जारी होने के कम से कम तीन वर्ष पूर्व का ISO पंजीकरण (18001:2008 or ISO 9001:2015) होना चाहिए।
07. संस्थान के पास सरकारी विभाग/ PSUs/ स्व0शासी स्थल का डिजिटाइजेशन करने का कार्य अनुभव प्रमाण संलग्न करना चाहिए।
08. कोविड वैक्सीनेटेड कर्मी को ही डिजिटाइजेशन कार्य पर रखना अनिवार्य होगा।
09. संस्थान के सभी कर्मियों द्वारा कोविड प्रोटोकोल का पालन करना होगा।
10. जमानत राशि के रुप में ₹ 100000/- (एक लाख) रु0 का बैंक डिमांड ड्राफ्ट उप सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के पक्ष में देय होगा।
11. निविदा सभी प्रकार से पूर्ण एवं स्पष्ट होना चाहिए। अपूर्ण एवं अस्पष्ट निविदा को पूर्णतः निरस्त कर दिया जायेगा।
12. आयोग द्वारा निर्धारित निविदा की शर्तो की सभी कंडिकाएँ मान्य है एवं तत्संबंधी निविदा के प्रति पर मेरे हस्ताक्षर व मुहर अंकित है तथा संलग्न है।

दिनांक ....
निविदादाता का हस्ताक्षर

नोटः उपरोक्त तकनीकी निविदा में मांगे जा रहे कागजातों के लिए तत्संबंधी स्व–अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र की छाया प्रति एवं निविदा की हस्ताक्षरित प्रति अनुलग्नक के रुप में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

144

वित्तीय निविदा

सेवा में,

उप सचिव,

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना।

विषय : **बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना का पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन हेतु प्राक्कलन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके निविदा दिनांक .... के आलोक में मैं/ हम विषयांकित कार्य हेतु दर निर्धारित कर रहा/रही हूँ, जो निम्नवत् है :–

क्र0	विवरणी	दर (अंको एवं शब्दों में) सभी करों सहित (जी0एस0टी0)
1	अभिलेखों का डिजिटाइजेशन (इंडेक्स एवं मेटाडाटा तैयार करने सहित) प्रति पेज	

श्रम, डस्टिंग एवं उपकरण रखरखाव आदि के रुप में किसी भी कार्य हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. मैं/हम निविदा में वर्णित सभी नियम एवं शर्तो को स्वीकार करता/ करती हूँ।

विश्वासभाजन

प्राधिकृत का हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक ....

पदनाम ....

मोबाईल नं0 ....